राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/2022 जयपुर, दिनांक 03-10-2023

::परिपत्र::

राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.08.2023, 04.09.2023 एवं 21.09.2023 द्वारा अपने पद के कार्य के साथ–साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया था।

उक्त आदेश के अनुसार कई अधिकारियों द्वारा आदिनांक तक पालना नहीं की गई है, जबकि उक्त आदेशों में यह स्पष्ट निर्देश है कि आदेश की पालना नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमनानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी। अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.08.2023, 04.09.2023 एवं 21.09.2023 की पालना 2 दिवस में आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की स्वयं की होगी।

आज्ञा से

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. उपरोक्त संबंधित अधिकारी कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब इस विभाग में भिजवाए ।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA 2022-23\ORDER-2022.docx